"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2011—आषाढ़ 17, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शोभाराम साहू पिता राधेलाल साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी-कुम्हारी, तह.-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र शीतल कुमार साहू का नाम परिवर्तित कर समीर कुमार साहू रख लिया हूं तथा समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को समीर कुमार साहू पिता शोभाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शीतल कुमार साहू आ.-शोभाराम साहू निवासी-कुम्हारी तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	समीर कुमार साहू आ.-शोभाराम साहू निवासी-कुम्हारी तह.-धमधा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जशपुर (छत्तीसगढ़)

पीठासीन अधिकारी - जे. आर. बरिहा
रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2010-2011

जशपुर, दिनांक 8 जून 2011

श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष/सरवराकार,
राजा रणविजय प्रताप सिंह देव,
कार्यालय बालाजी मन्दिर परिसर जशपुरनगर
तहसील एवं जिला जशपुर (छ. ग.) **आवेदक**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य शासन **अनावेदकगण**

आदेश

(आज दिनांक 28 मई 2011 को पारित)

क्रमांक/1020/वाचक-1/2011.—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि आवेदक के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जशपुर इस्टेट में पुरातन काल से राज परिवार एवं रियासत की सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य हेतु विभिन्न स्थानों पर मन्दिरों का निर्माण की गई थी. जिसमें से जशपुर खास में बालाजी मंदिर, देवी मंदिर, शिव मंदिर तथा लक्ष्मी मंदिर एवं कस्तुरा, चरईडाड़, भागलपुर बरटोली में क्रमश: जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर भी स्थापित है, और इनके देख-रेख व संचालन हेतु ग्राम भगोरा, डुमरिया, डोंगादरहा, भुड़केला, कुस्तुरा, टुकुटोली, जरिया, बरटोली, छोटाकरौजा एवं कुजरी में कृषि भूमि भी रियासत काल में ही श्री बालाजी महाराज के नाम पर प्रदान की गई थी. जशपुर इस्टेट का भारतीय संघ में विलय के पूर्व श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट की स्थापना की जा चुकी थी, जिसके पदेन अध्यक्ष जशपुर इस्टेट के राजा हुआ करते थे. तत्कालीन काल में श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट का पंजीयन भी हो चुका था, और जशपुर इस्टेट में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातन मंदिरों का देख-रेख एवं संचालन भी बालाजी इस्टेट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता था. उपरोक्त मंदिरों का संचालन तथा देख-रेख एवं खर्च हेतु जशपुर इस्टेट के माननीय राजा साहब द्वारा ग्राम भगोरा, डुमरिया, डोंगादरहा, भुड़केला, कस्तुरा, टुकुटोली, जरिया, बरटोली, छोटाकरौजा एवं कुजरी में तथा जशपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित मंदिरों की भूमि का व्यवस्थापन भी श्री बालाजी महाराज के नाम पर की गई थी. इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में भी उक्त प्रविष्टि निरंतर चली आ रही है. जशपुर इस्टेट का भारतीय संघ में वर्ष 1948 में विलयन के पश्चात् वर्ष 1955 में तत्कालीन जिला रायगढ़ में श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट का पंजीयन ट्रस्ट के सरवराकार/अध्यक्ष भूतपूर्व राजा माननीय विजय भूषण सिंह जूदेव द्वारा कराया गया था. जिसका पंजीयन क्रमांक 195/1955 था, एवं उपरोक्त ग्रामों की संपूर्ण चल-अचल संपत्ति कृषि भूमि 689 एकड़ श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट के नाम पर तब से आज तक चली आ रही है, और इसी अनुरूप तत्कालीन जिला रायगढ़ के जशपुर अनुविभाग के पंजी में भी उपरोक्त पंजीयन क्रमांक के अनुसार ट्रस्ट से संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखी गई है. ट्रस्ट के सरवराकार/अध्यक्ष भूतपूर्व राजा विजय भूषण सिंह जूदेव की मृत्यु उपरांत पारम्परिक विधि एवं विधिक तरीकों से श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट के अध्यक्ष/सरवराकार वर्तमान राजा रणविजय प्रताप सिंह देव को बनाया गया तब से ट्रस्ट का संचालन एवं देख-रेख उनके द्वारा किया जा रहा है. ट्रस्ट का पंजीयन पूर्व में म. प्र. राज्य के अंतर्गत रायगढ़ जिले में आती थी, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में छ. ग. राज्य के निर्माण पश्चात् तथा जशपुर नया जिला बन जाने के पश्चात् जशपुर जिले के ट्रस्ट पंजी में ट्रस्ट का पंजीयन कराया जाना विधिक आवश्यकता बन गई है. आवेदक द्वारा रायगढ़ जिले के ट्रस्ट पंजी के पंजीयन क्रमांक 195/1955 के आधार पर श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट का नाम जशपुर जिले के ट्रस्ट पंजी में अंकित कर नवीन पंजीयन किये जाने का निवदेन किया गया है. इस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रारंभ किया गया.

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये जाने के प्रक्रम में आवेदक द्वारा उपरोक्त ग्रामों में ट्रस्ट द्वारा धारित भूमि का टुकड़ा नक्शा, खसरा पांचशाला तथा बी-1 की छाया प्रति ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय का पता, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची, ट्रस्ट द्वारा धारित अचल सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य तथा ट्रस्ट के पिछले 03 वर्षों के आय-व्यय की जानकारी प्रस्तुत की गई है. प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक

द्वारा आवेदन पत्र की कण्डिका-3 में उल्लेखित यह तथ्य कि जशपुर स्टेट का भारतीय संघ में वर्ष 1948 में विलय के पश्चात् वर्ष 1955 में तत्कालीन जिला रायगढ़ में ट्रस्ट का पंजीयन कराया गया था और जिसका पंजीयन क्रमांक 195/1955 था. इस संबंध में आवेदक को पंजीयन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर वर्तमान में पंजीयन संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं होना बताया गया. आवेदक द्वारा जशपुर अनुभाग में ट्रस्ट द्वारा धारित भूमि के अतिरिक्त अनुभाग कुनकुरी के ग्राम कस्तुरा, चरईडाड़, भगोरा, डोगादरहा में भी धारित भूमि को सम्मिलित करने का निवेदन किया गया है किन्तु ग्राम कस्तुरा, चरईडाड़ भगोरा, डोगादरहा इस अनुभाग के अन्तर्गत नहीं होने से उसे पंजीयन की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है.

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत् ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन छ. ग. राजपत्र दिनांक 25 मार्च 2011 के पृष्ठ क्रमांक 37 एवं 38 में कराया गया. ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन ग्राम के सार्वजनिक स्थलों में भी कराया गया. ईश्तहार/सूचना के राजपत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशन किये जाने के बाद नियत समयावधि में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. अत: उक्त ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट माना जाकर तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित विभिन्न ग्रामों की भूमि मंदिर के नाम पर दर्ज है जिसके आधार पर ट्रस्ट की भूमि होना मान कर ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुये वर्तमान परिस्थितियों में ट्रस्ट के संचालन के संबंध में प्रतिवेदन तहसीलदार जशपुर से मंगाया गया.

4. तहसीलदार जशपुर ने अपने पत्र क्रमांक 465/वाचक-1/2011 दिनांक 25-05-2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया है, कि श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट जशपुर के अंतर्गत 06 मंदिर क्रमश: बालाजी मंदिर, श्री भगवती मंदिर, श्री महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी मंदिर जशपुर में स्थित है तथा ग्राम चराईडाड़ में श्री शिव मंदिर एवं ग्राम कस्तुरा में श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है. उक्त मंदिरों का रख-रखाव ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है. सभी मंदिरों में पुजारी एवं सेवादार की नियुक्ति की गई है, तथा विधिवत् संचालन किया जा रहा है. उक्त संस्था रियासत काल से कार्यरत है. श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट जशपुर के नाम पर जशपुर अनुभाग के 07 ग्रामों में 128.826 हे. भूमि विद्यमान है. ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यो का संचालन प्रत्येक वर्ष किया जाता है. ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यो का संचालन एवं निर्वहन भी किया जाता है. विवाह तथा अन्य धार्मिक मेलों का आयोजन किया जाता है. ट्रस्ट का प्रतिवर्ष नियमानुसार अंकेक्षण भी कराया जाना तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है.

5. इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत किये जाने पर तथा ईश्तहार/सूचना का प्रकाशन छ. ग. राजपत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर किये जाने के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का समग्र रूप से सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर आवेदित ट्रस्ट को लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् इस अनुभाग में पंजीबद्ध किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है. फलस्वरूप लोक न्यास अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत् इस अनुभाग में आवेदित ट्रस्ट का पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाना आदेशित किया जाता है :-

शर्तें निम्नानुसार है :-

1. ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी को निर्देशित किया जाता है, कि ट्रस्ट की आय से प्राप्त समस्त राशि किसी अधिसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस के सेविंग बैंक खाते में रखा जाकर, उसका हिसाब उचित रीति से रखा जावेगा.

2. रजिस्ट्रार लोक न्यास की पूर्व अनुमति के बिना ट्रस्ट की भूमि का कोई भाग न तो विक्रय किया जायेगा न गिरवी रखा जायेगा और न ही किसी को दान में दिया जायेगा. विक्रय किये जाने गिरवी रखे जाने अथवा दान में दिये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार लोकन्यास से लिखित में अनुमति लेना आवश्यक होगा.

3. ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक को ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति का नियमित हिसाब रखना होगा जिसे रजिस्ट्रार के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा.

4. लोक न्यास अधिनियम की धारा 15 में दिये गये निर्देशानुसार न्यास के आय व्यय का अंकेक्षण किसी सक्षम अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कराया जाकर उसकी प्रति पंजीयक लोक न्यास को नियमित रूप से प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

5. ट्रस्ट द्वारा आदेश में उल्लेखित उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाकर ट्रस्ट निर्धारित नियमों के अंतर्गत अपना कार्य संचालित करता रहेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट, श्री बालाजी इस्टेट ट्रस्ट जशपुर नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास जशपुरनगर पो. एवं जिला जशपुर (छ. ग.)
2.	मुख्य प्रबंध ट्रस्टी का नाम व पता	:	राजा रणविजय प्रताप सिंह देव अध्यक्ष आराम निवास पैलेस जशपुर पो. एवं जिला जशपुर (छ. ग.)

3. वर्किंग ट्रस्टी का नाम व पता : 1. श्री दिलीप सिंह जूदेव, सचिव विजय बिहार फार्म जशपुर पो. एवं जिला जशपुर (छ. ग.)
2. श्री विनोद कुमार मिश्रा, न्यासी सरनाटोली, जशपुरनगर
3. श्री अरूण सिंह, न्यासी नावाटोली जशपुर
4. श्री कृष्ण कुमार राय, न्यासी श्री रामभजन राय भवन, जशपुरनगर
5. श्री प्रकाश नायक, न्यासी आरा हाऊस, भागलपुर जशपुरनगर
6. श्री जगेश्वर राम भगत, न्यासी ग्राम कोमडो, पो. एवं जिला जशपुर
7. श्री विजय भूषण सिन्हा, न्यासी नावाटोली, जशपुरनगर
8. श्री मुकुन्द रमाकांत देशपाण्डेय, न्यासी महापात्रे कालोनी के पास जशपुरनगर
9. श्री रामचंद मिश्र, पोराणिक पुरानीटोली, जशपुरनगर
10. श्री रामप्रसाद गुप्ता, न्यासी, बनियाटोली, जशपुरनगर
11. श्री परमानंद मिश्रा, मानसेवी प्रबंधक जुरगुम भण्डार, सन्ना रोड, जशपुरनगर
12. श्री अमर सिंह देव, लेखापाल श्री बालाजी कालोनी, जशपुरनगर
13. श्री प्रेमचंद राम यादव, भण्डारी श्री बालाजी मंदिर जशपुरनगर

4. चल संपत्ति : निरंक

5. अचल संपत्ति : ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम	तहसील	जिला	ख. क्र.	रकबा	लगभग बाजार मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जरिया	मनोरा	जशपुर	36/1	0.316	18,13,296.00
				77	1.594	
				88/2	1.943	
				97/1	3.403	
				112	4.965	
				114/1	0.894	
				115/1	3.925	
				324	0.745	
				334	0.466	
			योग	**09**	**18.251**	**18,13,296.00**
2.	टुकुटोली	मनोरा	जशपुर	4	2.979	12,54,188.00
				35	0.955	
				73	3.828	
				74/1	4.074	
				86/2	0.474	
				120/1	1.700	
			योग	**06**	**14.010**	**12,54,188.00**
3.	कुजरी	मनोरा	जशपुर	44/2	3.828	6,05,332.00
				45	0.198	
				47	1.643	
				131	0.696	
				254	0.243	
			योग	**05**	**6.608**	**6,05,332.00**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	बरटोली	मनोरा	जशपुर	218	0.664	4,96,668.00
				222	1.376	
				232/1	2.360	
				233/1	1.222	
				323/1 ख	0.445	
			योग	**05**	**6.067**	**4,96,668.00**
5.	भुड़केला	जशपुर	जशपुर	69	0.753	66,38,408.00
				73	0.397	
				79	0.352	
				90	10.280	
				96	1.801	
				106	0.498	
				126	4.297	
				163	0.656	
				168	0.514	
				179	0.291	
				271	8.119	
				289	1.517	
				290	0.753	
				382	3.359	
				449	1.327	
				506	1.004	
				555	2.159	
				717	1.493	
				760	2.885	
				762/1	0.125	
				836	0.405	
				851	0.709	
				978/2	0.121	
				979	1.062	
				980	0.607	
				1001	1.926	
				1004/1	2.630	
				1023	6.029	
			योग	**28**	**56.069**	**66,38,408.00**
6.	छोटाकरौजा	जशपुर	जशपुर	5	2.482	23,13,636.00
				6	1.092	
				111	0.458	
				129	2.873	
				173	0.737	
				174	0.802	
				217	0.648	
				238	7.131	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				242	5.301	
				245	2.509	
				248	0.291	
				250	0.162	
				317	0.486	
				350	1.473	
			योग	**14**	**26.445**	**23,13,636.00**
7.	जशपुर	जशपुर	जशपुर	330/2	0.28	
				331/2	0.76	
				328/1	0.25	
				328/2	0.24	
				323	0.08	
				256/3	0.03	
				256/4	1.14	
				257/1	0.02	
				257/2	0.02	
				257/3	0.06	
				257/4	0.02	
				256/1	0.050	
			योग	**12**	**3.40 (एकड़)**	
			महायोग	**79**	**128.826**	**1,31,21,528.00**

तद्नुसार आदेश पारित एवं घोषित.

जे. आर. बरिहा,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 26 मई 2011

(प्रारूप क्रमांक-4)
[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1)]

क्रमांक /13400/अ. वि. अ./प्रवा-1/2011.— लोक न्यासों के पंजीयन कबीरधाम जिला के समक्ष यत: कि माँ गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्टी भीमसिंह वर्मा एवं अन्य-6 निवासी गायत्री मंदिर के पास कवर्धा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्ति अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :

1. मां गायत्री शक्तिपीठ सिविल लाईन कवर्धा जिला कबीरधाम छ. ग. पिनकोड 491995.
2. श्री भीमसिंह वर्मा आयु 65 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री घनउराम वर्मा पेशा मिशन का कार्य निवासी-राजमहल कालोनी कवर्धा जिला कबीरधाम छ. ग. मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी.
3. श्रीमती बैयजन्ती गुप्ता पति श्री आर. एस. गुप्ता उम्र 43 वर्ष व्यवसाय ग्रहणी निवासी शिक्षक कालोनी कवर्धा जिला कबीरधाम सहा. प्रबन्धक ट्रस्टी.
4. श्री गणेश प्रसाद अवस्थी आयु 55 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री श्याम प्रसाद अवस्थी पेशा वकालत निवासी कोर्ट रोड कवर्धा जिला कबीरधाम ट्रस्टी.
5. श्री मानसिंह साहू आयु 51 वर्ष सुपुत्र श्री हुकुम सिंह साहू पेशा-व्यापार निवासी बहादुर गंज वार्ड कवर्धा जिला कबीरधाम ट्रस्टी.
6. श्री संजय चंद्रवंशी आयु 35 वर्ष सुपुत्र स्व. श्री गोवर्धन चंद्रवंशी पेशा ठेकादारी एवं दुकानदारी निवासी विन्धवासिनी वार्ड कवर्धा जिला कबीरधाम ट्रस्टी.
7. श्रीमती रीता मंडल आयु 50 वर्ष पति श्री ए. के मंडल निवासी राजमहल कालोनी कवर्धा जिला कबीरधाम ट्रस्टी.
8. श्री सालिक राम डडसेना आयु 43 वर्ष सुपुत्र श्री घूरसिंह डडसेना पेशा निजी विद्यालय संचालन निवासी कैलाशनगर कवर्धा जिला कबीरधाम ट्रस्टी.

2. चल संपत्ति :

3. अचल संपत्ति :

अरविंद दीक्षित,
अनुविभागीय अधिकारी .

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा वन मण्डल, अम्बिकापुर (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक /मा. चि. /2011/146.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ,पूर्वी सरगुजा वनमंडल अम्बिकापुर के परिक्षेत्र गेम रेंजर बलरामपुर अन्तर्गत उप परिक्षेत्र बलरामपुर परिक्षेत्र सहायक श्री ज्वाकिम खलखो (वनपाल) द्वारा अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिनांक 08-04-2011 को अज्ञात स्थान पर हैमर गुम हो गया है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हैमर क्र. (798 SG) को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उक्त हैमर की कीमत 100/- (एक सौ रुपये) श्री ज्वाकिम खलखो परिसर सहायक बलरामपुर सेमरसोत अभ्यारण्य के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा हेमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि उपरोक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह निकटतम थाने अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

798 SG

व्ही. एस. ध्रुव,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/841.— नोवा इम्पलॉइज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्यादित वेयर हाऊस रोड बिलासपुर पं. क्र.-3821 दिनांक 30-11-1996 के आम-सभा में प्रस्ताव पारित कर समिति को बंद करने का निर्णय लिया गया है.

अत: संस्था के निर्णय से सहमत होते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1ए./बी./सी. दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) नोवा इम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट एण्ड थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्यादित वेयर हाऊस रोड बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र कुमार बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/843.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/966 बिलासपुर, दिनांक 08-05-2008 के तहत् मां शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, परसदा, बिलासपुर, पं. क्र. 3954 दिनांक 16-06-2000, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक , बिलासुपर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 02-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/844.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/816 बिलासपुर, दिनांक 04-07-2007 के तहत् पिछड़ा वर्ग कल्याण श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पं. क्र. 3719 दिनांक 20-03-1996, विकासखण्ड-तिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 02-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/845.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1923 बिलासपुर, दिनांक 01-10-2007 के तहत् शिवांजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, शिवाजी नगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3717 दिनांक 24-02-1995, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 02-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 03 जून 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/859.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/1009 बिलासपुर, दिनांक 14-05-2008 के तहत् जागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, उसलापुर, बिलासपुर, पं. क्र. 3959 दिनांक 11-10-2000, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-06-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.